पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

जुलाई, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) संशोधन नियम, 2022 के अधीन सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में अंशदान पर 5 लाख की अधिकतम सीमा विषय पर 10 जुलाई, 2022 को राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई।

2. दिनांक 12.04.2022 को आयोजित 32वीं स्कोवा बैठक में माननीय राज्य मंत्री (पीपी) द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, एक स्थल परीक्षण समिति ने जम्मू का दौरा किया। समिति ने सभी हितधारकों के साथ बातचीत की और जम्मू क्षेत्र में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में सीजीएचएस सुविधाएं प्राप्त करने में पेंशनभोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का आंकलन किया। इसके पश्चात्, जम्मू क्षेत्र में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 26.07.2022 को सचिव (पी&पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया कि सेंट्रल गर्वनमेट पेंशनर्स वेल्फेयर एशोसिएशन, जम्मू द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों का निपटान कर दिया गया है और वे दिनांक 26.07.2022 को हुई बैठक द्वारा की गई प्रगति से संतुष्ट हैं।

3. विभाग ने माननीय राज्य मंत्री (पीपी) के तत्वावधान में दिनांक 22.07.2022 को सीएसओआई(CSOI), नई दिल्ली में नि:शुल्क प्रीकॉशन डोज टीकाकरण अभियान का आयोजन किया, जिसमें 250 से अधिक संख्या में टीकाकरण किया गया।

4. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 28.07.2022 को उप सचिव (पी&पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 05 मंत्रालयों/विभागों/संगठन (अर्थात् गृह मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग और पोत परिवहन मंत्रालय) के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

5. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को विलंब की निगरानी और ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 29.07.2022 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 815 संबद्ध कार्यालयों में 7869 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारक 'भविष्य' पर कार्य कर सकते हैं। 29.07.2022 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम 36052 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों पर की जा रही कार्रवाई को विभिन्न चरणों में देखा जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 167766 पेंशनभोगियों की बाबत पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से जुलाई, 2022 के महीने में 2533 पीपीओ जारी किए गए थे। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

जारी...2

6. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

7. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8518 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.07.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4494 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रीयाधीन हैं। जुलाई, 2022 मास में, अनुभव के 151 आलेख प्रकाशित किए गए।

8. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिससे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

9. इस माह के दौरान, 4426 शिकायतें दर्ज की गई और 4351 का निपटान किया गया। 31 जुलाई, 2022 को अंत शेष 3283 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/07/2022 को अग्रानीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	31/07/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3208	4426	4351	2008	3283